बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 240

अग्रगामी कदम

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गत सप्ताह औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी। अब इसे चर्चा के लिए संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यह विधेयक केंद्रीय श्रम मंत्रालय के देश के श्रमिकों से संबंधित कई मौजूदा कानूनों को सहज बनाने और संहिताबद्ध करने के वर्ष भर पुराने प्रयासों का हिस्सा है। इसके अलावा भी कई संहिताओं की योजना है। उनमें से एक वेतन और पेंशन से संबंधित है जिसे कानून में परिवर्तित किया जा चुका है। इसके अलावा एक अन्य का संबंध काम करने की परिस्थितियों से है और उस पर सदन में चर्चा चल रही है। चौथी संहिता सामाजिक सुरक्षा पर होगी और उसके राजकोषीय निहितार्थों पर करीबी नजर होगी। परंतु औद्योगिक संबंधों पर आधारित इस संहिता की बात करें तो यह सर्वाधिक अपेक्षित में से एक है। तमाम नियोक्ता और अर्थशास्त्री लंबे समय से यह मांग कर रहे थे कि इस कानून में संशोधन करके श्रम बाजार को लचीला बनाया जाए। रोजगार में छंटनी के मामले में भारत दुनिया के सर्वाधिक प्रतिबंधित नियमन वाले बाजारों में से एक है। माना जाता रहा है कि देश में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी निवेश को हतोत्साहित करने की यह एक बड़ी वजह है।

बहरहाल, विधेयक कुछ मामलों में कमजोर नजर आता है। यह एक तरह से यथास्थिति का दोहराव है। बड़े नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को रखने और निकालने को आसान बनाने संबंधी मूल प्रश्न का सीधे समाधान नहीं किया गया है। 100 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियां अभी भी नियमित कर्मचारियों को बिना सरकारी मंजूरी के नहीं निकाल सकतीं। बहरहाल, संहिता अधिसूचना के माध्यम से 100 कर्मचारियों वाली सीमा को परिवर्तित करने की इजाजत देती है। यह मौजूदा रुख के अनुरूप ही है जिसके तहत राज्यों को श्रम कानूनों में बदलाव की इजाजत है और इसे बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी प्रदान की जाती है। बहरहाल, श्रम कानूनों में एक संपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के बदलाव का कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। यदि ऐसा होता है देश में कारोबारी सुगमता की स्थितियों में काफी सुधार होगा।

नियमित कर्मचारियों की छंटनी में मुश्किल के चलते अनुबंधित श्रमिकों की तादाद बढ़ रही है। देश की कई फैक्टरियों में नियमित कर्मचारी और अनुबंधित कर्मचारी समान काम करते हैं लेकिन अनुबंधित श्रमिकों को तुलनात्मक रूप से बहुत कम लाभ मिलते हैं। इसके खिलाफ तमाम न्यायिक निर्णयों के बावजूद यह व्यवस्था कायम है। संहिता ने अनुबंधित श्रम के इस्तेमाल को नियमित करने का काम किया है, बशर्ते कि कर्मचारियों को बीमा और छुट्टियों के मुद्रीकरण जैसे सांविधिक लाभ मिलते रहें। इससे अनुबंधित श्रम के नियोक्ताओं की लागत बढ़ेगी। सवाल यह है कि उत्पादकों की प्रतिक्रिया समग्र रोजगार में कमी के रूप में सामने आएगी या नियमित कर्मचारियों की तादाद बढ़ेगी। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कंपनियां इन कर्मचारियों को सीधे नियुक्त कर सकेंगी और ठेकेदारों की जरूरत समाप्त हो जाएगी।

एक मसला नौकरी से निकाले जाने वालों के हर्जाने का भी है। बहरहाल यदि श्रम बाजार में लचीलापन होगा तो निकाले जाने वाले श्रमिकों को हर्जाना भी अच्छा मिलेगा। इस मोर्चे पर नई संहिता कमजोर साबित होती है। परंतु तमाम कमियों के बावजूद कुल मिलाकर यह एक महत्त्वपूर्ण अग्रगामी कदम है। यह भी उम्मीद की जानी चाहिए कि चूंकि एक बार विधेयक पारित हो जाने के बाद कर्मियों की छंटनी के लिए सरकार की मंजूरी की सीमा में बदलाव आ जाएगा तो उस स्थिति में कार्यपालिका को इस बदलाव को देशव्यापी स्वरूप प्रदान करने में भी मदद मिलेगी।

अजय मोहंती

आरसेप से दूर रहकर गंवा दिया बड़ा मौका

तुलनात्मक बढ़त बनाने की प्रक्रिया में कुछ क्षेत्र पीछे छूट जाएंगे। हालांकि यह एफटीए ही नहीं बल्कि सभी तरह के व्यापार में होता है। आरसेप के बहाने एफटीए पर रोशनी डाल रही हैं **अमिता बत्रा**

भारत ने 16 देशों वाले क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसेप) समझौते का हिस्सा न बनने का फैसला किया है। अर्थव्यवस्था के संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर जुड़ी चिंताओं, सेवा क्षेत्र के उदारीकरण, पेशेवरों की आवाजाही से संबंधित मोड-4 और चीन एवं आसियान देशों के साथ व्यापार घाटा बढ़ने की आशंका ने भारत को इस प्रस्तावित समझौते से दूर रखा है। अब हम दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की समीक्षा के अलावा अन्य देशों के साथ एफटीए पर नए सिरे से विचार करने की भी सोच रहे हैं। मौजूदा समय एफटीए, खासकर आरसेप के कुछ पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए मुफीद हो सकता है।

पहली और सबसे खास बात, हमें यह स्वीकार करने की जरूरत है कि एशिया में बहुत बड़े क्षेत्रीय व्यापार समझौते होना अपरिहार्य है। समान सोच वाले देश इन समझौतों का इस्तेमाल साझा हितों को साधने और मध्यवर्ती एवं अंतिम उत्पादों की आवाजाही को संभव बनाने के लिए नियम एवं अनुशासन विकसित करने के लिए करते हैं। यह वैश्विक मूल्य शृंखला (जीवीसी) के लिए अनिवार्य है। आरसेप ऐसा ही एक विशाल क्षेत्रीय व्यापार समझौता है और इसका हिस्सा बनने से भारत क्षेत्रीय एवं वैश्विक मूल्य शृंखला का अंग बन सकता था। पूर्व एशिया वैश्विक वित्तीय संकट खत्म होने के बाद जीवीसी गतिविधियों का सबसे गतिशील केंद्र रहा है और इस अवधि में पूर्वी एशिया के साथ यूरोप एवं उत्तर अमेरिका दोनों की ही जीवीसी गतिविधियां बढ़ी हैं।

दूसरी, व्यापार समझौते आपसी लेन-देन के सिद्धांत पर काम करते हैं। जहां यह सच है कि समझौते के सदस्य देशों को स्वाभाविक तौर पर बाजार तक पहुंच मिलती है, वहीं यह बात सभी सदस्यों पर लागू होती है। अगर हम कुछ वरीयता देते हैं तो हमें कुछ वरीयता मिलती भी है। जहां मौजूदा (स्थिर) तुलनात्मक बढ़त तरजीही पहुंच के लिए होने वाली एफटीए चर्चा का आधार है, वहीं हमें गतिशील तुलनात्मक बढ़त के लिए भी तैयार होना चाहिए। जीवीसी में शामिल होने से उत्पादों की तुलना में छोटे मध्यवर्ती कार्यों में तुलनात्मक बढ़त बना पाने की गुंजाइश बढ़ जाती है। इस तरह, इस प्रक्रिया में विनिर्माण एवं संबद्ध सेवा गतिविधियों में नई तुलनात्मक बढ़त विकसित एवं पल्लवित हो सकती है। लिहाजा यह जरूरी है कि एफटीए पर चर्चा महज स्थिर धारणाओं के बजाय गतिशील तुलनात्मक बढ़त अनुमानों पर आधारित होनी चाहिए।

तुलनात्मक लाभ की स्थिति पैदा करने के क्रम में कुछ क्षेत्रों को नुकसान उठाना होगा। वैसे यह बात केवल एफटीए पर ही नहीं लागू होती है, सभी तरह के व्यापार में ऐसा होता है। एफटीए समझौतों में व्यापार उदारीकरण और खासकर तरजीही उदारीकरण के साथ श्रम क्षेत्र के लिए मददगार नीतियों एवं कार्यक्रमों की भी जरूरत होती है ताकि नुकसान उठाने वाले क्षेत्रों में व्यापार-जनित विस्थापन को समायोजित किया जा सके। जापान, दक्षिण कोरिया एवं वियतनाम जैसे देशों ने व्यापार सहयोग के लिए विशिष्ट कार्यक्रम चलाए हुए हैं। पुनर्प्रशिक्षण, स्थानांतरण भत्ता, शिक्षा और वित्तीय सहायता के साथ छोटी एवं मझोली इकाइयों और उनके कामगारों को समर्थन देकर मुक्त व्यापार समझौतों और आर्थिक सुधार के दुष्प्रभावों से निपटने की कोशिश की गई है।

तीसरी बात, व्यापार घाटे के संदर्भ में यह लाभप्रद हो सकता है कि जीवीसी के दौर में वस्तुओं के उत्पादन में तीसरे देश की सहभागिता को नहीं जोड़ने वाली आयात-निर्यात की साधारण गणना द्विपक्षीय व्यापार घाटों का सबसे सटीक अनुमान नहीं हो सकती है। यह देखते हुए कि चीन कई देशों के लिए असेंबलिंग एवं पुनर्निर्यात का एक केंद्र है, लिहाजा मूल्य वर्द्धन के आधार पर एक व्यापार संतुलन अनुमान एक उपयोगी कवायद हो सकती है। इससे हम चीन के साथ अपने व्यापार असंतुलन की अधिक सटीक तस्वीर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा निर्यात एवं व्यापार पुनर्संतुलन में वृद्धि वांछनीय उद्देश्य होते हुए भी प्रत्याशित सुनिश्चित परिणाम नहीं है। एफटीए का फायदा उठाने के लिए भारत को घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाना, बड़े बाजार सुधार करना और एक अनुकूल व्यापार एवं निवेश परिवेश बनाना जरूरी है। वियतनाम जैसे छोटे देशों ने ट्रांस-पैसिफिक साझेदारी समझौते में सदस्य बनने की मंशा जताई है ताकि उसे आरसेप की तुलना में कहीं अधिक एकीकरण का लाभ मिल सके और घरेलू आर्थिक सुधारों को अमलीजामा पहनाया जा सके।

चौथी बात, भारत के लिए सेवा क्षेत्र वार्ताओं में उदारीकरण के साधनों से परे जाकर सोचना उपयोगी हो सकता है। आसियान का सीमित आंतरिक सेवा क्षेत्र उदारीकरण और सेवाओं में भारत-आसियान एफटीए का लागू नहीं होना आसियान को राजी करने की राह में आने वाली मुश्किलों का संकेत होना चाहिए। व्यवसाय, वित्तीय, परिवहन एवं लॉजिस्टिक जैसे मूल्य-शृंखला उत्पादन के लिए जरूरी या उनके साथ-साथ चलने वाली सेवाएं या शोध एवं डिजाइन जैसी उच्च सेवाएं भी आरसेप में शामिल होने के बाद नए अवसर पैदा कर सकती हैं। इन क्षेत्रों में अपने संभावित तुलनात्मक लाभ को चिह्नित करने से बातचीत की प्रक्रिया में कुछ लचीलापन आ सकेगा।

पांचवीं बात, आसियान के साथ भारत के एफटीए के मामले में एक निम्न उपयोगी दर एफटीए प्रभावहीनता या व्यापार पर असर डालने की सीमित क्षमता का अनिवार्य रूप से संकेतात्मक नहीं है। यह कारोबारी लोगों की एफटीए के बारे में सीमित समझ के आधार पर भी हो सकता था। तरजीही मार्जिन एवं स्रोत के नियम के साथ सरकारी प्रयासों एवं उद्योग खासकर एसएमई को सलाह देने से दक्षिण कोरिया जैसे देशों में एफटीए उपयोगी दरें बढ़ाने में मदद मिली है। भारत की ही तरह कोरिया भी एफटीए प्रक्रिया का हिस्सा बाद में ही बना है। एफटीए से व्यापार बढ़ने एवं लाभ बढ़ने को लेकर बने संदेहों को सरकारी कदमों ने गलत ठहराया है। कंपनियों के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम चलाना, एफटीए पोर्टलों के जरिये सूचना का प्रसार, कार्यशालाओं का आयोजन एवं रोजमर्रा की सलाह के लिए व्यवस्था बनाना जैसे कदम सरकार उठाती है।

छठी बात, अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ एफटीए करना आरसेप का स्थानापन्न नहीं हैं क्योंकि फिलहाल ये दोनों क्षेत्र वृद्धि या जीवीसी गतिविधियों के मामले में दुनिया के सबसे गतिशील इलाके नहीं हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति काल में अमेरिका की दूसरे देशों के साथ व्यापार वार्ताएं बेहद अप्रत्याशित राह पर रही हैं। भारत के साथ एफटीए को लेकर तो अभी बातचीत शुरू भी नहीं हुई है। वहीं यूरोपीय संघ के साथ एफटीए पर वार्ता 2007 में शुरू हो गई थी लेकिन 12 साल और कई दौर की बैठकों के बाद भी इस समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। यूरोपीय संघ से वार्ता में सबसे जटिल मुद्दे आरसेप की ही तरह कृषि, सेवाओं का मोड-4, डेयरी क्षेत्र और बौद्धिक संपदा अधिकार के उदारीकरण के हैं। आखिरी और शायद सबसे अहम बात, आसियान-केंद्रित आरसेप समझौते में भागीदारी का मौका गंवा देना हिंद-प्रशांत की आसियान-केंद्रित संरचना में हमारी प्रासंगिकता को काफी मुश्किल बना सकता है।

ऐसे में, आरसेप के बारे में थोड़े पुनर्विचार और अगले दो महीनों में व्यापार विशेषज्ञों की मदद से बहुपक्षीय रणनीति तैयार करने और आर्थिक सुधारों को लागू करना वक्त का तकाजा है।

(लेखिका जवाहरलाल नेहरू के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन संस्थान में प्रोफेसर हैं)

संप्रग, राजग और बुरी खबर का दौर

सम सामयिक

टीसीए श्रीनिवास-राघवन

जरा इस बारे में विचार कीजिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को अपने दूसरे कार्यकाल में वैसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जैसी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) को 2009 में दोबारा चुनाव जीतने के बाद करनी पड़ी थीं। कोई सप्ताह ऐसा नहीं बीतता जब कोई बुरी खबर नहीं मिलती हो। अंतर केवल यह है कि मनमोहन सिंह की सरकार के समय व्यापक भ्रष्टाचार ने समस्या पैदा की थी जबकि मोदी सरकार के दौर में अर्थव्यवस्था इसकी वजह है। एक के बाद एक बुरी खबरों के आने का सिलसिला जारी है। उस वक्त डॉ. सिंह असहाय प्रतीत हो रहे थे और लगभग लड़खड़ा रहे थे। निजी तौर पर वह भ्रष्ट नहीं थे बल्कि वह तो इससे कोसों दूर थे। परंतु उनके साथ काम करने वालों ने उन्हें नीचा दिखाया।

मोदी के साथ भी ठीक यही बात है। छह वर्षों से सत्ता में रहने के बावजूद उन्हें अब तक इस बात का अंदाजा नहीं हो सका है कि आखिर कहां क्या गड़बड़ी है। सन 2013 तक यानी मनमोहन सिंह की सरकार के अंतिम पूर्ण वर्ष के दौरान आर्थिक मोर्चे पर बुरी खबरों के आगमन का सिलसिला शुरू हो गया था। इसका सबसे अधिक राजनीतिक फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया। मतदाताओं ने उनके हर वादे पर यकीन किया।

वर्ष 2012 में मुद्रास्फीति की जो भूमिका संप्रग के लिए थी यदि 2022 में भ्रष्टाचार राजग के लिए उसी भूमिका में आ जाता है तो यह देखना काफी दिलचस्प होगा।

संप्रग की छवि साफ-सुथरी करने की कोशिश में डॉ. मनमोहन सिंह ने कई जांच और दंडात्मक कार्रवाइयों की घोषणा की। परंतु इनसे कोई मदद नहीं मिली। मोदी ने भी अर्थव्यवस्था को लेकर जल्दबाजी में ऐसी ही घोषणाएं की हैं और आगे भी करेंगे। यह तो समय ही बताएगा कि इससे कोई मदद मिलती है या नहीं।

वर्ष 2012 के आखिर तक संप्रग के गैर कांग्रेसी सदस्यों ने लगभग समर्पण कर दिया। उनमें से कई ने मुझसे कहा कि वे अब आराम करना चाहते हैं और अपने नाती-पोतों के साथ खेलना चाहते हैं। राजग के साझेदारों को भी भाजपा के साथ वही समस्या है। एकता की जगह विविधता ले रही है। स्पष्ट है कि राजनीतिक आवश्यकताएं किसी की प्रतीक्षा नहीं करतीं। यह याद करना भी उचित होगा कि सन 2010 में भाजपा पूरी तरह निराश थी और कांग्रेस को साफ बढ़त नजर आ रही थी। परंतु 2014 आते-आते हालात पूरी तरह बदल चुके हैं।

कांग्रेस की स्थिति इसलिए खराब हो गई क्योंकि उसकी छवि के साथ अक्षमता और कुटिलता जैसी बातें जुड़ गईं। अवधारणाएं इसी प्रकार बनती हैं। उनमें तथ्यों के लिए कोई स्थान नहीं होता।

मोदी सरकार फिलहाल इसी समस्या से जूझ रही है। आम धारणा यह है कि सरकार को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था के औद्योगिक उत्पादन में अचानक आ रही भारी गिरावट की समस्या से कैसे निपटा जाए। जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 15 फीसदी है।

यहां तक कि जब सरकार सही कदम उठाती है तब भी सरकार की आलोचना की जाती है। निश्चित रूप से सच यह है कि सरकार ने वही कदम उठाए हैं जो अर्थशास्त्रियों तथा वृहद, सूक्ष्म, कराधान तथा प्रशासनिक मामलों से जुड़े अन्य विशेषज्ञों ने सुझाए।

सरकार की कदम उठाने की गति भले ही निराश करने वाली हो, लेकिन उसकी दिशा गलत नहीं है। परंतु जनता का मिजाज ऐसा हो चुका है कि वह क्षमा करने के मूड में नहीं है। एक बार अगर जनता की धारणा बन गई तो सरकार जिन सीमाओं के भीतर काम कर रही है, वे केवल एक बचाव की तरह नजर आएंगी।

एक बड़ी पहेली जिसके बारे में मैं पहले भी लिख चुका हूं, वह है सरकार की राजनीतिक नीतियों और आर्थिक नीतियों के बीच कोई तालमेल न होना। राजनीति में बड़ी चीजों के बारे में बातें और उससे जुड़ी अवधारणाएं चुनाव जीतने में मददगार साबित हो सकती हैं।

यह संप्रग से उलट है। उसके कार्यकाल में अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत सही दिशा में थी। कम से कम तब तक जब तक प्रणव मुखर्जी वित्त मंत्री नहीं बन गए। उनके वित्त मंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या कुछ किया यह वही बता सकते हैं।

मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार की तरह मोदी सरकार को भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है जहां सारी गड़बड़ियां एक साथ घटित होती हैं। यह एक ऐसी नाव की तरह हो चुकी है जिसमें सैकड़ों छेद हो चुके हैं। नौका चालक दल को यह पता नहीं है कि नाव से पानी बाहर निकालना है या छेद भरने हैं।

औद्योगिक वस्तुओं की मांग में फिलहाल जो कमी आई है वह काफी हद तक ऐसी ही है। सरकार उपभोक्ताओं की मांग और निवेश पर व्यय बढ़ाने की दिशा में खूब प्रयास कर रही है लेकिन सबकुछ सही नहीं हो पा रहा है।

ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार के पास केवल एक ऐसा उपाय है जो आर्थिक रूप से समझदारी भरा माना जा सकता है: वह है व्यय में कटौती करना। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार के पास धन की कमी है। परंतु ऐसा करते हुए भी उसे संप्रग सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम का तरीका नहीं अपनाना चाहिए। चिदंबरम ने व्यय को छिपाने और लंबित करने का तरीका अपनाया था।

निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं और निवेशकों के रुझान में आई भारी कमी के लिए सरकार का बहुत अधिक खर्च करना भी उत्तरदायी है। इसके अलावा सरकार कर राजस्व भी चाहती है। सरकार को थोड़ा सहज रहने की आवश्यकता है। अर्थशास्त्री कींस की बातों को याद करें तो इस समय अर्थव्यवस्था में जो कुछ हो रहा है वह उनके द्वारा सोचे गए तौर तरीकों से एकदम उलट है।

जब चीजें उस तरह नहीं घटित होतीं जैसे उन्हें होना चाहिए तब वैसी स्थिति बनती है जैसी अभी बनी हुई है। उस स्थिति में गति को धीमा करना होता है।

कानाफूसी

आरोप-प्रत्यारोप

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं बताए जाते हैं। सन 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद मौर्य को प्रदेश के नेतृत्व का स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा था। हाल ही में दोनों नेताओं के रिश्तों के बीच का ठंडापन उस समय सार्वजनिक हो गया जब मौर्य ने आदित्यनाथ को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार हो रहा है। चूंकि आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन मंत्रालय के प्रभारी भी हैं इसलिए प्रदेश के विकास प्राधिकरणों का नेतृत्व भी उनके ही पास है। बहरहाल इसके बाद मुख्यमंत्री महोदय ने राज्य में सड़कों की खस्ता हालत का मुद्दा उठा दिया है। मौर्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं जो प्रदेश की सड़कों के रखरखाव का उत्तरदायी है।

श्रेय में साझेदारी

मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार का मानना है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का पूरा श्रेय लेकर उसके साथ न्याय नहीं कर रही है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने यह तय किया है कि वह इस योजना के अधीन बनने वाले आवासों पर ऐसे टाइल्स लगाएगी जिन पर लिखा होगा कि इस आवास के निर्माण में 40 फीसदी योगदान राज्य सरकार का है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार केवल नए बनने वाले आवासों पर यह लिखवाने जा रही है बल्कि जो आवास पहले से बन चुके हैं उन पर भी ये टाइल्स जुड़वाई जाएंगी। राज्य सरकार इस दिशा में पहल भी कर चुकी है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख 86 हजार घरों का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए केंद्र सरकार 5,000 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करेगी। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फोटो लगी टाइल्स को घरों में लगाने की बात सामने आई थी।

आपका पक्ष

अंगदान जीवनदान लेकिन दान में कमी

कई बार देखा गया है कि अंग नहीं मिल पाने की वजह से मरीज की जान नहीं बच पाती है। कोई व्यक्ति किसी अंग के इंतजार में अपनी जान गंवा देता है। देश में आज भी अनेक लोग अंगदान नहीं करना चाहते हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो मृत्यु के बाद अपने परिजन का अंगदान नहीं करने देते हैं। उन्हें लगता है कि सभी अंग के बगैर अगर अंतिम संस्कार किया जाए तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इस रूढ़िवादी अवधारणा के कारण अनेक लोगों का अंगदान नहीं हो पाता है जिससे किसी अंग के इंतजार में बैठे मरीज की जान चली जाती है। हालांकि पिछले तीन साल में अंगदान के ग्राफ में बढ़ोतरी हुई तो है लेकिन यह आशा के अनुरूप नहीं है। सरकार के अनुसार अंगदान के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के कारण पिछले तीन साल में अंगदान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है लेकिन देश के 28 राज्यों तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश में से 22 तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। अंगदान काफी महत्त्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आधुनिकता के कारण लोगों की जीवनशैली बदल गई है जिससे लोग गंभीर रोग की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के अंग से किसी अन्य व्यक्ति को जीवनदान मिल रहा है तो हमें अंगदान करना चाहिए। आज अगर कोई व्यक्ति अंगदान करता है तो भविष्य में उनके परिवार को भी किसी अन्य व्यक्ति से अंगदान मिल सकता है। अत: लोगों को अंगदान करने में आगे आना चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति असमय मौत का शिकार न हो।

कृतिका सिंह, नई दिल्ली

किसी एक व्यक्ति द्वारा किए गए अंगदान से किसी दूसरे व्यक्ति को जीवनदान मिल सकता है

में ही अंगदान शुरू हो पाया है। अंगदान के मामले में दिल्ली शीर्ष पर है लेकिन बिहार सबसे पीछे है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 में 9,046 अंगदान हुए थे जो वर्ष 2018 में बढ़कर 10,387 हो गए। यह आंकड़ा वर्ष 2016 में 1,947 और वर्ष 2017 में 1,989 था। इसमें मुख्य रूप से गुर्दा, हृदय, फेफड़े और कॉर्निया के अलावा स्टेम सेल का अंगदान किया जाता है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अंगदान करने में शीर्ष पर दिल्ली, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और के लिए अदालत के साथ-साथ सरकार को भी सोचना चाहिए। सरकार को अदालत को सुविधाएं, आधारभूत ढांचा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी जिससे लंबित मामलों की सुनवाई हो सके। मामले लंबित होने के कारण आरोपी जेल में ही कई साल गुजार देते हैं। ऐसे किसी मामले में अगर आरोपी को झूठे मामले में फंसाया गया हो और बाद में वह निर्दोष साबित हो जाता है तो वह जितने साल जेल में गुजारता है उसकी भरपाई करना असंभव है। कोई व्यक्ति एक बार जेल चला जाता है तो समाज में उनके परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। समाज में तरह-तरह की बातें की जाती हैं। अंत में अगर वह निर्दोष साबित हो भी जाता है तो समाज में उनकी प्रतिष्ठा वापस नहीं मिल पाती है। सरकार को अदालतों की संख्या बढ़ाने, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने, अदालत में काम करने वाले कर्मियों की संख्या बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।

शिवम कुमार, लखनऊ

वर्षों से लंबित मामलों का निपटारा हो

देश की अदालतों में कई मामले वर्षों से लंबित हैं जिनके निपटारे

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।